सप्तदश बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-02 बुधवार, दिनांक- 14 दिसम्बर, 2022 ई० ।

मानतीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.25 बजे पूर्वाह्न तक ।

[1] शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान :-

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शपथ/प्रतिज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ हुई, जिसमें कुढ़नी विधान सभा क्षेत्र संख्या-93 के उप चुनाव में नवनिर्वाचित सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा शपथ ग्रहण किया गया ।

[2] प्रश्नकाल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ ।

(ii) 05 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा सदस्यों से कार्यसूची के अनुसार सदन की कार्यवाही चलने देने, प्रश्नकाल को बाधित नहीं करने तथा अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने का बार-बार अनुरोध किया गया ।

तदुपरान्त सदन नेता द्वारा विपक्ष के सदस्यों से तथ्यहीन बातें न करने का अनुरोध किया गया । साथ ही संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को व्यवस्थित करने का अनुरोध आसन से किया गया ।

आसन द्वारा पुन: सभी माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाने तथा सदन को नियम और प्रक्रिया से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गयी ।

स्थगनोपरांत

(समय : 11.40 बजे पूर्वाह्न से 12.28 बजे अपराह्न तक ।)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(iii) 14 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।

(v) 172 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] **कार्य स्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री जिवेश कुमार, श्री आलोक रंजन, श्री रामसूरत कुमार एवं श्री जनक सिंह द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकुल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी ।

[4] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री रामबली सिंह यादव
(ii) श्री अजीत कुमार सिंह
(iii) श्री अमरजीत कुशवाहा
(iv) श्री महा नंद सिंह
(v) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(vi) श्री रामविलास कामत
(vii) श्री इजहारूल हुसैन
(viii) श्री अखतरूल ईमान
(ix) श्री गोपाल रविदास
(x) श्री मनोज मंजिल
(xi) श्री रणविजय साहू
(xii) श्री संदीप सौरभ
(xiii) श्रीमती मंजु अग्रवाल
(xiv) श्री सुर्यकान्त पासवान
(xv) श्री सुदामा प्रसाद

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने विभिन्न मांगो को लेकर शोरगुल करते रहे ।

आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर बैठ जाने और सदन सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा माईक बार-बार बंद किये जाने पर आपत्ति की गयी, जिसपर आसन द्वारा कहा गया कि उनकी अनुमति से ही सभा सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है और तदनुसार ही सदस्यों के बोलने हेतु माईक ऑन/ऑफ की जाती है ।

आसन द्वारा बार-बार माननीय सदस्यों से शांति बनाये रखने का आग्रह किया गया किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और तत्पश्चात विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।

[5] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य सभासदों का सहकारिता विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय लिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल एवं अन्य सभासदों का आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग श्री शाहनवाज द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[6] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

(i) माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति श्री दामोदर रावत द्वारा निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया :-

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्रतिवेदन
1.	ग्रामीण कार्य	323वाँ, 324वाँ, 327वाँ, 328वाँ, 329वाँ, 330वाँ, 331वाँ एवं 332वाँ
2.	सहकारिता	304वाँ
3.	जल संसाधन	319वाँ
4.	ऊर्जा	325वाँ एवं 334वाँ

5.	श्रम संसाधन	326वाँ
6.	विभिन्न विभाग	335वाँ

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02:39 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जहरीली शराब से हुई मौत का मामला उठाया गया ।

तदुपरान्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कहा गया कि शराबबंदी सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की सर्वसम्मति से लागू हुआ था । इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमलोगों की जिम्मेवारी है कि इस संदर्भ में आपूर्तिकर्त्ता के बारे में सूचना से प्रशासन को अवगत करायें तभी इस तरह की घटना की रोकथाम हो पायेगी ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया ।

[7] **वित्तीय कार्य** :-

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 के अधिकाई व्यय विवरण का उपस्थापन किया गया ।

[8] **विधायी कार्य** :-

राजकीय विधेयक

1. **''बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022''**

माननीय प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री जनक सिंह द्वारा क्रमश: जनमत जानने का प्रस्ताव तथा विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति के उपरान्त खण्डश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन से स्वीकृत हुआ ।

2. **''बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022''**

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री जनक सिंह द्वारा क्रमश: प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति के उपरान्त खण्डश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन से स्वीकृत हुआ ।

3. ''**बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022**''

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति के उपरान्त खण्डशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 सदन से स्वीकृत हुआ ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये ।

[9] **निवेदन :-**

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 25 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-14.12.2022

पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।